(GCF-1, 3, 4, 5, 6, 7+7A, 8+8A, 9, 12, 13 & 14, VCF-1,2 & 4, ACF-1,2 & 5, JCF-1 & 3, DCF-5,6,7 & 8, Drive-2)

DATE: 01.11.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: $3^{1/4}$ Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.
Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 29 के अनुसार :

मामला	निर्णय	कारण
a.	वैध	यहाँ तेल के विवरण से सम्बन्धित कोई अनिश्चितता नहीं है क्योंकि X नारियल तेल का ही विक्रेता है।
b.	वैध	यहाँ कोई उनिश्चितता नहीं है क्योंकि तृतीय पक्षकार Z द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
c.	व्यर्थ	यहाँ यह निश्चित नहीं है कि कौन सा मूल्य भुगतान किया जायेगा।
d.	व्यर्थ	यहाँ यह निश्चित नहीं है कि कौन से तेल का विक्रय जायेगा।

{1 M for each Correct 4 points}

Answer :

(b) कम्पनी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी के स्थिति में एक कम्पनी जायज उद्देश्य के लिए सात एवं अधिक लोगों के द्वारा, निजी कम्पनी की स्थिति में दो एवं अधिक लोगों के द्वारा एक व्यक्ति कम्पनी की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा निगमित की जा सकती है। इस प्रकार कम्पनी गेर कानूनी उद्देश्य एवं गैर कानूनी व्यवसाय करने के लिए निगमित नहीं की जा सकती है।

धारा 9 के अनुसार निगमन की तिथि से सीमा नियम के अभिदानकर्ता एवं अन्य सदस्य जो समय–समय पर कम्पनी के सदस्य हो सकते हैं, सीमानियम में शामिल नाम के अधीन एक निगमित निकाय होंगे। ऐसी पंजीकृत कम्पनी इस अधिनियम के अधीन निगमित कम्पनी के सभी कार्यो को करने के लिए समर्थ होगी। इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी वैध उद्देश्य के लिए गठित की जा सकती है इस प्रकार कम्पनी गैर कानूनी व्यवसाय के लिए गठित नहीं की जा सकती है।

वर्तमान प्रकरण में यह रजिस्ट्रार का दोष है कि उसने कम्पनी को निगमन प्रमाण–पत्र जारी किया, परन्तु निगमन प्रमाण–पत्र जारी करना कम्पनी को यह अधिकार नहीं देता कि वह गैर कानूनी व्यवसाय करें। **(2 M)**

यदि वर्तमान समस्या में उपरोक्त प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो कम्पनी का तर्क गलत है यद्यपि निगमन का प्रमाणपत्र एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि पंजीकरण कर दिया है जिसका अभिप्राय होता है कि यह निश्चात्मक प्रमाण है कि कम्पनी अधिनियम की सभी अपेक्षाएँ पूरी कर ली गयी है, जोकि कम्पनी के निगमन के लिए आवश्यक है का अनुपालन हो गया है और अब यह कम्पनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ गयी है पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि सभी उद्देश्य वैधानिक है। **<u>बोमैन बनाम सैकुलन सोसायटी लि.</u>** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सारे उद्देश्य या उसमें कुछ उद्देश्य जोकि पार्षद सीमानियम में दिये गये हैं यदि वह अवैधानिक है तो निगमन प्रमाण–पत्र के जारी हो जाने से वैधानिक हो जायेंगे। इसलिए कम्पनी का यह तर्क कि उसके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति की जॉच निगमन प्रमाण–पत्र जारी हो जाने के उपरान्त नहीं हो सकती है यह तर्क मान्य नहीं है। फिर भी रजिस्ट्रार के पास उद्देश्य की अवैधता ही पर्याप्त आधार है कि वह अपनी गलती का सुधार करें एवं स्वयं आवश्यक कदम उठाये ताकि कम्पनी का पंजीकरण रद्द हो जाए। **(2 M)**

Answer :

(c) वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार विक्रय के अनुबंध में एक गर्भित शर्त होती है कि वस्तु संबंधित उद्देश्य के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। यदि क्रेता ने क्रय का उद्देश्य विक्रेता **(2 M)**

को बताया हो। क्रेता ने विक्रेता के चयन पर भरोसा किया हो और विक्रेता उसी प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय करता हो।

दिये गये प्रश्न में कपड़े का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, क्रेता का दायित्व बनता था वह प्रयोग का प्रयोजन विक्रेता का बताऐ जो वह करने में असमर्थ रहा। इसलिए गर्भित शर्त कि वस्तु उपयोग के उद्देश्य पुरा करेगी, लागु नही होती।
अतः क्रेता को विक्रेता के विरूद्ध कोई उपचार नहीं मिलेगा। **(2 M)**

Answer 2:

(a) अवयस्क के ठहराव के सम्बन्ध में नियम/अवयस्क की स्थिति :–

1. **एक अवयस्क के साथ या उसके द्वारा किया गया अनुबन्ध शुरू से ही व्यर्थ होता है :–** एक अवयस्क अनुबन्ध करने के लिए सक्षम नहीं होता तथा उसके साथ या उसके द्वारा किया गया कोई भी ठहराव प्रारम्भ से ही व्यर्थ होता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के प्रसिद्ध मुकदमें में निर्णय दिया गया कि अवयस्क के अनुबन्ध पूर्णतः व्यर्थ होते है।
2. **वयस्कता पाने के बाद कोई पुष्टीकरण नहीं :–** वयस्कता पाने पर एक अवयस्क किसी ठहराव की पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि मूल ठहराव प्रारम्भ से ही व्यर्थ होता है।
   उदाहरण :– X नामक एक अवयस्क Y के नाम मे एक प्रतिज्ञा–पत्र लिखता है। वयस्कता पाने पर वह पुराने प्रतिज्ञापत्र के स्थान पर एक नया प्रतिज्ञापत्र लिखता है। यहां नया प्रतिज्ञापत्र जो उसके वयस्कता पाने के बाद अंजाम दिया है, बिना प्रतिफल के होने के कारण वह भी व्यर्थ ही होगा।
3. **अवयस्क लाभगृहिता हो सकता है या अनुबन्ध से लाभ उठा सकता है :–** यद्यपि एक अवयस्क अनुबन्ध करने की क्षमता नहीं रखता लेकिन अनुबन्ध अधिनियम की कोई भी बात अन्य पक्षकार को उसके प्रति बाध्य होने से नहीं रोक सकता है।
   उदाहरण :– एक अवयस्क के पक्ष में विधिवत लिखा गया एक प्रतिज्ञापत्र व्यर्थ नहीं होता तथा उसके द्वारा उस पर वाद किया जा सकता है, क्योंकि वह भले ही अनुबन्ध करने में अक्षम है, फिर भी वह लाभ स्वीकार कर सकता है।
   उदाहरण :– एक अवयस्क के पक्ष में एक बंधक बनाया गया निर्णय दिया गया कि वह बंधक की प्रवर्तनीयता हेतु एक डिक्री ले सकता है।
4. **एक अवयस्क सदा ही अवयस्कता की दलील दे सकता है :–** एक अवयस्क सदा ही अवयस्कता की दलील दे सकता है तथा ऐसा करने से उसको रोका भी नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि जब वह कोई ऋण ले बैठा हो या यह झूठ बोलकर कि वह एक अवयस्क है, कोई अनुबन्ध कर चुका हो।
5. **अनिवार्यताओं की आपूर्ति के लिए अनुबन्ध :–** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार अन्य पक्षकारों द्वारा उसको सप्लाई की गई अनिवार्यताओं के लिए उसकी सम्पत्ति से भुगतान हेतु अवयस्क दायी ठहराया जाता है।
6. **संरक्षक द्वारा अनुबन्ध–कितना प्रवर्तनीय :–** यद्यपि एक अवयस्क का ठहराव व्यर्थ होता है, लेकिन उसका संरक्षक कुछ परिस्थितियों में उसकी ओर एक वैध अनुबन्ध कर सकता है। जहां संरक्षक अवयस्क के लिए अनुबन्ध करता है, जो उसकी क्षमता में होता है तथा अवयस्क के लाभार्थ होता है। लेकिन एक प्रमाणित संरक्षक (न्यायालय द्वारा नियुक्त) द्वारा किया गया अनुबन्ध, जो अवयस्क की सम्पत्ति के विक्रय हेतु न्यायालय की सहमति के साथ हो, अनुबन्ध के किसी भी पक्षकार द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है।
7. विशिष्ठ निष्पादन का आदेश अवयस्क के समझौते में न्यायालय द्वारा नही दिया जाता।
8. अवयस्क कभी दिवालिया घोषित नही किया जा सकता।
9. अवयस्क कभी साझेदार नही होता परन्तु वह लाभग्रहिता हो सकता हैं।
10. अवयस्क एजेण्ट हो सकता है।
11. अवयस्क के कार्यो के लिए संरक्षक जिम्मेदार नही होते है।
12. यदि अवयस्क व वयस्क के साथ संयुक्त अनुबंध किया जाता है तो वयस्क जिम्मेदार होगा परन्तु अवयस्क नही
13. अवयस्क की स्थिति में प्रतिभू के दायित्व प्राथमिक होंगें।

{0.5 marks Each for any 14 points}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

14. अवयस्क अंशधारी हो सकता है यदि अंश पूर्ण प्रदत्त हो और आवेदन वैधानिक संरक्षक के माध्यम से दिया गया हो।
15. अपकृत्य की स्थिति में अवयस्क जिम्मेदार होगा।

Answer:

(b) <u>सीमित दायित्व साझेदारी के समामेलन के चरण (Steps to Incorporate LLP)</u>

1. नाम उपलब्धिता (Name Reservation) :– {2 M}
- (a) पहला कदम सीमित दायित्व साझेदारी के नाम का आरक्षण है।
- (b) नाम की उपलब्धिता के एिल आवेदन e-form 1 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जाता है।

2. सीमित दायित्व साझेदारी का समामेलन (Incorporation) :– {2 M}
- (a) सीमित दायित्व साझेदारी के समामलेन के लिए e-form 2 रजिस्ट्रार के पास फाईल होगा।
- (b) e-form 2 में सीमित दायित्व साझेदारी के विवरण, साझेदार, अभिहित साझेदार, उनकी सहमति आदि दिये जाते है।

3. सीमित दायित्व साझेदारी समझौता (LLP Agreement) :– {1 M}
- (a) सीमित दायित्व साझेदारी समझौता निष्पादित किया जायेगा।
- (b) यह समामेलन के 30 दिनों के भीतर e-form 3 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जायेगा।

Answer 3:

(a) **साझेदारी की सही जॉच :–** धारा 6 के अनुसार साझेदारी के अस्तित्व के निर्धारण के लिए पक्षकारों के मध्य वास्तविक संबंध व महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। साझेदारी के अस्तित्व के लिए तीन बातों को सिद्ध करना पडेगाः–

- **समझौता** {2 M}
  - साझेदारी सिर्फ समझोते द्वारा उत्पन्न होती है।
  - इसकी प्रकृति ऐच्छिक एवं अनुबंधात्मक है।
  - यह मौखिक या लिखित स्पष्ठ या गर्भित हो सकता है।
  - इसे साझेदारी का संविधान अर्न्तनियम, साझेदारी संलेख या विलेख (लिखित + हस्ताक्षरयुक्त + पंजीकृत) भी कहा जाता है।
- **लाभ का बंटवारा** {2 M}
  - लाभ शब्द में हानि भी शामिल है। (सामान्यतः) परन्तु अनिवार्य रूप से नही (केवल लाभ में साझेदार)
  - समझौता के अभाव में लाभ व हानि बराबर बॉटे जाऐगे।
  - किसी विपरीत प्रावधान कि अनुपस्थिति हानि लाभ के अनुपात में बांटी जाएगी।
  - लाभ का बंटवारा साझेदारी का प्रथम दृष्ठया साक्ष्य है परन्तु निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है।

  निम्न चार परिस्थितियों में लाभ का बंटवारा होता है। परन्तु साझेदारी नही है।
  - ख्याति का विक्रेता जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।
  - फर्म का लेनदार जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।
  - कर्मचारी या नौकर जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है।
  - मृत साझेदार कि विधवा व बच्चे अपने आप साझेदार नही बनते परन्तु समझौते द्वारा उन्हें साझेदार बनाया जा सकता है।
- **आपसी ऐजेंसी** {2 M}
  - एक सबके लिए और सब एक के लिए
  - प्रत्येक साझेदार प्रधान भी होता है और ऐजेन्ट भी
  - व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी के लिए किसी एक के द्वारा किया जाना चाहिए।

- यह साझेदारी का मुलभूत सिद्धांत है। निश्चियात्मक, निर्णयात्मक, अकाट्य प्रमाण है।
- यह साझेदारी की सही जॉच है। (Cox V/s Hickman)

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 42 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो तो अनुबंध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर, वचनदाताओं को संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करना चाहिए। उनमें से किसी भी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी, जीवित वचनदाताओं के साथ संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करेंगे। सभी वचनदाताओं की मृत्यु होने की दशा में उन सभी के उत्तराधिकारी मिलकर अनुबंध का निष्पादन करेंगे।

धारा 43 के अनुसार वचनग्रहीता किसी भी संयुक्त वचनदाता से अनुबंध का निष्पादन करा सकता है। इस प्रकार से संयुक्त वचनदाता का दायित्व केवल संयुक्त ही नहीं, बल्कि संयुक्त एवं पृथक भी होता है। धारा 43 के अनुसार अनुबंध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर वचनग्रहीता इनमें से किसी एक अथवा अधिक संयुक्त वचनदाताओं को निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है।

धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं की दशा में अंशदान के विषय में वर्णन करती है। वचनग्रहीता प्रत्येक वचनदाता को बराबर का अंशदान करने के लिए बाध्य कर सकते है (जब तक कि अनुबंध से इसका विपरीत आशय प्रकट न होता हो) यदि कोई भी संयुक्त वचनदाता अपना अंशदान देने में असमर्थ है तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कमी को बराबर–बराबर अनुपात में पूरा करेंगें। **{3 M}**

उपर्युक्त धराओं के प्रावधानों कें अनुसारः

1. Y, X व Z से अंशदान मांग सकता है, क्योंकि XYZ संयुक्त वचनदाता है।
2. X के उत्तराधिकारी Y को अंशदान देने के लिए दायी है, लेकिन एक उत्तराधिकारी का दायित्व उसे उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति तक सीमित है।
3. Y व Z की सम्पत्ति में से अंशदान प्राप्त कर सकता है।

{1 Mark each}

Answer 4:

(a) **नीलामी विक्रय (AUCTION SALE) धारा – 64**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd

- एक 'नीलामी विक्रय' सार्वजनिक तौर पर बोलियाँ आमंत्रित करके सम्पत्ति के बेचने का एक तरीका है। सम्पत्ति को सबसे ऊँची बोली देने वाले को बेचा जाता है।
- एक नीलामीकर्त्ता एजेन्सी सन्नियम द्वारा संचालित एक एजेन्ट होता है। जब वह बेचता है तो वही विक्रेता का एकमात्र एजेन्ट होता है।
- जब माल को ढेरियों में विक्रय के लिये रखा जाता है, तब थोक माल की प्रत्येक ढेर प्रथम साक्ष्य में वस्तु विक्रय का पृथक अनुबन्ध माना जाता है।
- विक्रय को उस समय पूर्ण माना जाता है जब नीलामकर्त्ता इसके पूर्ण होने की घोषणा हथौड़े मार कर अथवा किसी अन्य रीति से करता है।
- अब तक ऐसी घोषणा नहीं की जाती कोई भी बोली लगाने वाला अपनी बोली वापिस ले सकता है।
- जब तक स्पष्ट रूप से कोई ऐसा अधिकार सुरक्षित या घोषित न किया गया हो, विक्रेता या उसका एजेन्ट अपने माल की नीलामी पर बोली नही लगा सकता और जहाँ इस प्रकार का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा जाता है एवं अन्य किसी दूसरे प्रकार से नही, तब विक्रेता अथवा उसके एजेन्ट को नीलामी के दौरान बोली लगाने का अधिकार है।
- जहाँ विक्रय विक्रेता के बोली लगाने के अधिकार के अन्तर्गत अधिसूचित नही है तब विक्रेता के लिए स्वयं बोली लगाना अथवा किसी व्यक्ति को उस विक्रय के दौरान बोली लगाने के लिए नियुक्त करना, वैध नही होगा अथवा नीलामकर्ता द्वारा जानबूझकर विक्रेता को अथवा प्रतिनिधित्व करने वाले एजेन्ट की बोली स्वीकार करना वैध नही होगा। इस नियम का उल्लघंन करने वाली किसी विक्रय कार्यवाही को क्रेता कपट पूर्ण मान सकता है।
- विक्रय को किसी सुरक्षित अथवा परिवर्तित राशि के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है।

यदि मूल्य वृद्धि के लिए विक्रेता बोली लगाने का बहाना करता है, तब विक्रय क्रेता के चयन पर व्यर्थनीय होगा।

{1 Mark each for any 6 points}

Answer:

(b) एक साझेदार को साझेदारी फर्म से तब तक नही निकाला जा सकता जब तक धारा 33 की शर्तो का पालन न कर लिया गया हो। जिसके अनुसार :– **{1 M}**

A. साझेदारी संलेख में निष्कासन का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
B. निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाना चाहिए।
C. निर्णय सद्विश्वास में फर्म की हित में होना चाहिए।
D. निकाले जाने वाले साझेदारे उचित सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। **{2 M}**

– इस मामले अनिल द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित है क्योंकि:–
A. साझेदारी संलेख में निष्कासन का कोई उचित प्रावधान नही है।
B. नए साझेदार अभिषेक को प्रवेश नही कराया जा सकता जब तक सभी साझेदारों की सहमति ना ले ली गई हो। इस मामले में अनिल की सहमति नही ली। इसलिए अभिषेक को साझेदार बनाने पर अनिल की उठाई गई आपत्ति सही है। **{3 M}**

Answer 5:

(a) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जहाँ वस्तुयें क्रेता को स्वीकृति हेतु अथवा विक्रय अथवा वापिसी अथवा इस प्रकार की शर्तो के अंतर्गत भेजी जाती है तब क्रेता को सम्पत्ति हस्तान्तरित हो जाती है:

(अ) जब वह अपनी स्वीकृति की सूचना विक्रेता को देता है। या सौदे की स्वीकृत करने के लिए कोई कार्यवाही करता है।
(ब) यदि वह अपना अनुमोदन या स्वीकृति विक्रेता को नहीं जताता वरन् अस्वीकृति का कोई नोटिस दिये बिना माल को रोक लेता है तो, यदि माल की वापिसी के लिए कोई समय निर्धारित किया गया हो, तो ऐसे समय के बीत जाने पर, तथा यदि कोई समय तय नहीं किया गया है तो उचित समय बीतने पर, या
(स) वह माल के साथ कुछ ऐसा करता है जो माल की स्वीकृति के समतुल्य हो जैसे वह माल को बंधक रख देता है या बेच देता है। **(3 M)**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार दी गई समस्या में मि. जोशी ने कार की सुपुर्दगी विक्रय या वापसी के आधार पर ली है और फिर कार को गणेश के पास गिरवी रखा है। जोशी का यह कार्य माल की स्वीकृति के समतुल्य है। उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन **(2 M)** गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। **(1 M)**

Answer:

(b) **Ultra Vires का सिद्धान्त/शक्तिबाह्यता का सिद्धांत:–** ultra vires का अर्थ है शक्ति बाह्यता या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना कम्पनी यदि अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कार्य करती है (सीमानियम के उद्देश्य खण्ड से बाहर) तो यह व्यर्थ होगा इसे लागू नही कराया जा सकता। यह कम्पनी पर बाध्यकारी नही होता।
सीमानियम व अंर्तनियम कम्पनी के मुख्य दस्तावेज है। यदि कम्पनी इनसे बाहर जाकर कोई कार्य करती है। तो यह ultra vires कहलाएगा और व्यर्थ होगा।
यदि ultra vires तरीके से कम्पनी द्वारा कोई ऋण लिया जाता है परन्तु इसे कम्पनी के वैधानिक ऋणों के भुगतान में प्रयोग कर लिया जाता है तो ऋणदाता वसूली हेतु वाद कर सकता है। **(1/2 M)**

Ashbury Railway carriage and Iron company ltd. V/s Riche
तथ्य:–
कम्पनी का मुख्य उद्देश्य रेलवे Carriage को बनाना बेचना व किराये पर देना, मेकेनिकल इंजिनियरिंग व सामान्य कान्ट्रेक्टरस का व्यवसाय करना आदि था। कम्पनी के संचालकों ने Riche के साथ बेल्जियम में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वित्तीय राशि प्रदान करने का अनुबंध किया। जिसका विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों ने पुष्ठिकरण भी किया। बाद में कम्पनी ने शक्ति बाध्यता के आधार पर अनुबंध को समाप्त कर **(1 M)**

दिया। Riche ने कहा कि कम्पनी मेकेनिकल इंजिनियरिंग और सामान्य कान्ट्रेक्टर शब्द के अन्तर्गत अनुबंध कर सकती है।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य अनुबंध शब्द के अन्तर्गत वही अनुबंध शामिल है जो मैकेनिकल इंजिनियंरिग से जुडे हो अतः यह अनुबंध ultra vires होने के कारण शून्य तथा व्यर्थ है और इस मामले में कम्पनी या कम्पनी पर वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता ।

शक्तिबाह्यता के सिद्धांत को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैः–

1. यदि कार्य सीमानियम के उद्देश्य खण्ड या कम्पनी द्वारा अधिकृत ना हो तो यह शून्य तथा व्यर्थ होगा।
2. सदस्य सर्वसहमति द्वारा भी इस कार्य का पुष्ठिकरण नही कर सकते।
3. यदि कार्य संचालको कि शक्ति से बाहर हो परन्तु कम्पनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो सदस्यों द्वारा इसका पुष्ठिकरण किया जा सकता है। **(4 M)**
4. यदि अर्न्तनियम के ultra vires हो तो सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके इसका पुष्ठिकरण किया जा सकता है।

लाभ :– अंशधारियों व लेनदारों को संरक्षण प्रदान कराना।

नुकसानः–

- यह कम्पनी को अपनी इच्छानुसार गतिविधियों में परिवर्तन करने से रोकता है जिसके लिए सदस्यों कि सर्वसहमति है। **(1/2 M)**
- कम्पनी का उद्देश्य खण्ड विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

Answer 6:

(a) प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अन्तर है। एक प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा अपने प्रस्ताव से बाध्य होने के आशय को प्रकट करने का अन्तिम वक्तव्य है, यदि दूसरा पक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहे। जब एक पक्ष, अपनी अन्तिम इच्छा व्यक्त किये बिना कुछ शर्तो का प्रस्ताव करता है, जिस पर वह सौदा करने के लिए तैयार है, कोई प्रस्ताव नही करता, बल्कि उन शर्तो पर दूसरे पक्ष को प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण करता है। यह प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में आधारभूत अन्तर है। **(2.5 M)**

वस्तुओं का, मूल्य के फीते के साथ 'स्वयं सेवा' दुकान में प्रदर्शन, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है। यह किसी भी रूप में बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं माना जा सकता जिसकी स्वीकृति एक अनुबंध की उत्पत्ति करें। इस मामले में श्रीमति लवली ने कुछ वस्तुओं का चुनाव किया तथा भुगतान के लिए कोषाध्यक्ष के पास जाकर प्रस्ताव दिया है, कोषाध्यक्ष यदि मूल्य का भुगतान स्वीकार नहीं करता है तो वस्तु खरीदने का इच्छुक क्रेता उसे वस्तु बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। **(1.5 M)**

मिस लवली उपर्युक्त मामले में विक्रेता को ड्रेस बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। **(1 M)**

Answer

(b) इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या एक पंजीकृत फर्म के (जिसके व्यापार को उसके एक साझेदार की मृत्यु के पश्चात समापन के पश्चात जारी रखा जाता है) शेष साझेदारों द्वारा, उस स्थिति के पश्चात् किये गये व्यवहार अथवा सौदों के सम्बन्ध में, फर्म के पंजीयक को फर्म की संरचना में परिवर्तन के विषय में सूचित किये बिना, मुकदमा किया जा सकता है, शेष साझेदारों द्वारा कथित रूप से बाद में किये गये व्यवहार अथवा सौदों के विषय में मुकदमा किया जा सकता है, शेष को दोबारा उसके कथित समापन के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया गया था ओर उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था और उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था। **(1 M)**

इन समस्त मामलों में जो परीक्षण लागू किया गया था वह यह था कि क्या वादी ने दो आवश्यकताओं को पूर्ण किया था :–
(i) मुकदमा उस फर्म के द्वारा अथवा उसके आधार पर किया गया हो जो, पंजीकृत की गई थी **(1 M)**
(ii) जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है, उसे फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दिखाया गया था।

उत्तर :– अतः हम कह सकते है कि :–
इस मामलें में B और C के द्वारा X के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है। **(1 M)**

परन्तु दूसरे मामले में जहां एक नए सांझेदार को प्रवेश कराया गया है पहली शर्त संतुष्ट हुई है पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वाद प्रस्तुत किया था, उसका नाम रजिस्ट्रार के फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में प्रदर्शित नहीं था। **(1 M)**

Answer:

(c) गारण्टी कम्पनी से अभिप्राय (Meaning of Gurantee Company):– जब यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी को सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत करवाया जाये तो यह विकल्प उपलब्ध होता है कि कम्पनी को या तो अंश पूँजी के आधार पर या गारण्टी के आधार पर पंजीकृत करवाया जाये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार गारण्टी कम्पनी को उस कम्पनी के रूप में ऐसे परिभाषित करती है– ''ऐसी कम्पनी जो अपने पार्षद सीमानियम द्वारा कम्पनी के समापन के समय उस राशि को देने के लिए सहमत होते है जिसकी वह गारण्टी करते है। इस प्रकार गारण्टी कम्पनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा की गयी गारण्टी राशि तक ही सीमित होती है जोकि पार्षद सीमा नियम में दी गयी होती है। उन सदस्यों से उनके द्वारा गारण्टी की राशि से अधिक की मांग नही की जा सकती है कम्पनी के अर्न्तनियम में उन सदस्यों की संख्या दी जाती है जो उस कम्पनी का पंजीकरण करवाना चाहते है। **(1 M)**

गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूँजी आधारित कम्पनी में समानताएँ तथा भिन्नताएँ (Similarities and dis-similarities between the Guranantee company and the company baving share capital):– गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूँजी आधारित कम्पनी में जो सामान्य गुण होता है वह है दोनों कम्पनियों का **<u>वैधानिक दायित्व</u>** तथा **<u>सीमित दायित्व</u>** का होना अंशपूँजी आधारित कम्पनी के अंशधारक सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूँजी के भुगतान तक ही सीमित होता है दोनों को यह तथ्य अपने पार्षद सीमा नियम में स्पष्ट रूप से लिखना होता है, **(1/2 M)**

लेकिन दोनों कम्पनियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्य रूप में निम्न रूप से होती है। गारण्टी कम्पनी के सदस्यों को अपनी देयता को केवल उस समय करना होता है जब कम्पनी का विघटन हो रहा हो और उन सदस्यों को उनके द्वारा की गारण्टी राशि का भुगतान उस विघटन के समय देना होता है जोकि उन सदस्यों का दायित्व होता है पर अंश पूँजी आधारित कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के जीवन काल में कभी भी उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूँजी को देने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा तब किया जा सकता है जब कम्पनी का विघटन किया जा रहा हो। **(1/2 M)**

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने **<u>नरेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू</u>** (1995) 6 एस.सी. 114 में यह निर्धारित किया है कि किसी गारण्टी कम्पनी द्वारा किसी सदस्य द्वारा उसके हित के हस्तान्तरित करने से मना करना अंश पूँजी आधारित कम्पनी के सदस्य द्वारा अपने हित का हस्तान्तरण से बिल्कुल भिन्न होता है गारण्टी कम्पनी की सदस्यता से मिलने वाले लाभ–हित किसी साधारण अंश पूँजी धारक को मिलने वाले लाभ हितों से बिल्कुल भिन्न होते है और गारण्टी कम्पनी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वह कम्पनी ने अपने सदस्यों से कोई पूँजी नहीं उगाही है इसलिए ऐसी कम्पनी वहीं पर उपयोगी हो सकती है जहाँ पर कार्यशीलता कोष की आवश्यकता नहीं होती है और यह धनराशि अन्य साधन जैसे कोई न्यायसीधन, फीस, प्रभार, दान से उगाही जा सकती है। **(1 M)**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) **Passage-2**

(1) Option c
(2) Option b
(3) Option a
(4) Option d
(5) Option b

{Each 1 Mark}

Answer:

(b) **Passage -1**

Ministry's Decision Revoked (Heading) **{1 M}**

(I) S. Korean steel maker Posco under attack
(II) Prpsl for steel plant in Odisha rcnsdrd
(III) Need to rethink the descn
  (a) Not based on solid grounds
  (b) FDI's
  (c) Land aqstn from natives nt easy
  (d) Protests frm land holders
(IV) No concrete result
  (a) 8 years past; standstill
  (b) Neither prpnt nor govt. able to justify its moves
  (c) Leaves the matter open ended.

{1/2 Mark Each}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Key Used:

(1) S= south
(2) Prpsl= proposal
(3) Rcnsdrd=reconsidered
(4) Descn= decision
(5) Aqstn- acquisition
(6) Nt= not
(7) Frm= from
(8) Prpnt=proponent
(9) Govt= government.
(10) FDI= foreign direct investment.

{2 M}

Answer 8:

(a) Barriers in communication:

- Physical Barriers
- Cultural Barriers
- Language Barriers
- Technology Barriers
- Emotional Barriers

{1 M}

Technology Barriers: Being a technology driven world, all communication is dependent on good and extensive use of technology. However, there might arise technical issues, like server crash, overload of information etc which lead to miscommunication or no communication at all. **{1 M}**

Language Barriers: It's a cosmopolitan set up, where people of different nationalities move from their home to other countries for work. As a result, it is difficult to have a common language for communication. Hence, diversity gives rise to many languages and it acts as a barrier at times. **{1 M}**

Answer:

(b) **(i)** End a quarrel and make peace **}(1 Mark)**

(ii) A.R. Rahman has composed the melody wonderfully. **}(1 Mark)**

Answer:

(c) Television: Bane or Boon (Title) **}{1 M}**

Television affects our lives in several ways. We should choose the shows carefully. Television increases our knowledge It helps us to understand many fields of study. **{2 M}**

It benefits and people and patients. There are some disadvantages too some people devote a long time to it. Students leave their studies and it distracts their attention. **{2 M}**

Answer 9:

(a) Vertical Network and Wheel & Spoke Network.

Vertical Network	Wheel and Spoke Network	
A formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate.	A network with a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her.	**{1 M}**
A two way communication happens	Two way communication happens but useful only in small organizations.	**{1 M}**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Answer:

(b) **(i)** Her parents will be spoken to by Nisha tomorrow. **}(1 Mark)**

(ii) By unfair and foul means. **}(1 Mark)**

(iii) Something that happens unexpectedly **}(1 Mark)**

Answer:

(c)

CIRCULAR

Circular No. XXXIV Dec 31, 2018

NEW YEAR PARTY **{1 M}**

For all employees

Wishing All a very Happy, prosperous and productive New Year 2019. A New Year party is being organized in the office premises on the coming weekend (Jan 5, 2019) at 7 PM. Everyone is cordially invited with their families. **{2 M}**

The events would be as follows:

- Live performance by the pop band 'ASD'
- Couple Dance competition
- Stand up Comedy
- Surprise Gifts for kids
- Lucky Draw
- Buffet Dinner with special buffet for the kids Looking forward to an active participation.

Romi Mistry Manager, HR **{2 M}**

Answer 10:

(a) Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signals, writing, or behavior. **{1 M}**

Communication is relevant in daily life as we experience it in all walks of life. While talking to friends, family and office colleagues, while passing on a piece of information, while starting a campaign or a protest march; at every step we want to communicate a message. The audience differs and the purpose differs; yet communication happens. **{1 M}**

Answer:

(b)
- **(i)** The job had been left by him.
- **(ii)** Nobody has brought the news to my attention.
- **(iii)** The severe natural calamity in the northern region is being worried about by the government.

{1 Mark Each}

Answer:

(c) Raghav Shetty
1207, Ninto Road
Pune, Maharashtra
Tel. 9893233XXX / email - abc@gmail.com

Career Objective

To be associated with the organisation that will offer to me tremendous opportunities for growth in career and provide a challenging environment that will utilize my skill and abilities to the maximum.

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Summary of Qualification

(1) Excellent communication & compreherision skill.
(2) In depth knowledge of fundamental concepts related to profession.
(3) Exceptionally good at the application of different concept in varied manner.
(4) Have a training experience along with the competency conduct of various research program.

Education

IIM
Banglore
MBA in Sales Management (2 year post graduate program)

Major areas of study

(1) Finance
(2) Marketing
(3) Advertisement
(4) Production
(5) Communication
(6) Sales

{2 M}

Overview of skills and experience acquired through training

(1) More than 5 years of experience in both practical and managerial aspect of life.
(2) Extensive experience in various practices of explore the various facts of the company.

(3) Carried out various research program by employing suitable techniques.
(4) Possess flawless understanding of fundamental concepts.

Employment Experience
HDFC Bank, Mumbai, Maharashtra [2014-2017]
Sales Manager

(1) Tracked, recorded and verified the shipping of product from warehouse across the country.
(2) Engaging in skills & personality development program.
(3) Perform periodic activities to ensure almost satisfaction.

{2 M}

Skills
(1) Well versed with MS Office.
(2) Updated with all latest computer application & software.
(3) Excellent verbal communication skill.
(4) Highly orgainsed & efficient.

Reference
Available upon request

Declaration
I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief.

Date - 28 August, 2022
Place - Pune, Maharashtra (Raghav Shetty)

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Answer 11:

(a) **{**Cultural barriers refer to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people. Understanding various cultures in this era of globalization is an absolute necessity**}{$1^{1/2}$ M} {**as the existence of cultural differences between people from various countries, regions tribes and religions, where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunications.**}{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(b) **(i)** Be highly successful
(ii) A narrow escape
{1 Mark Each}

Answer:

(c) Date: Jan 2, 2019
Venue: Conference Hall, 3rd Floor
Meeting started at 11 : 00 AM.
In attendance : Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head , Sales and Marketing, Mr. FGH, Product Head, Mr. JKL Plant Head, two Senior Consultants from QWE Consulting and Market Research, three members of the Sales team
Mr. FGH, Product Head

{2 M}

- Introduced the agenda
- Demonstrated the prototype of the new product
- Explained the utility and target customers

- Existing Variants in the market vs variants to be introduced by the company in 6 months time

Mr. JKL, Plant Head

- Discussed preparedness for mass manufacturing of the new product
- Discussed potential vendors to manufacture the variants

Mr. VBN Senior Consultant, QWE Consulting and Market Research

- Discussed marketing strategy for product launch
- Discussed media advertising for product promotion

Mr. ASD Head, Sales and Marketing, Mr. RTY Executive, Sales Team

- Presented the estimated demand and sales figures for first quarter (initial 3 months after launch)
- Discussed feedback received from the sample customers

{2 M}

All the participants consented to submit their observations and reports to Mr. BNM Managing Director, Mr. ASD Head, Sales and Marketing,
The Head of Sales and Marketing proposed a vote of thanks and declared the next meeting to discuss reports to be held on Feb 4, 2019.
ATR to be submitted by Jan 25, 2019 to the Head of Sales and Marketing.

{1 M}

__**__

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.